प्रेस नोट

दिनांक 11.08.2024, थाना कटराबाजार

जनपद गोण्डा।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 317/2024 धारा 80, 85(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तो 01. रामसेवक, 02. अभिमन्यु व अभियुक्ता 03. रामावती को छिटनापुर क्रासिंग से बालपुर जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2024 को वादी द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 317/2024 धारा 80, 85(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम रामसेवक आदि 07 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्त 01. रामसेवक, 02. अभिमन्यु व अभियुक्ता 03. रामावती को आज दिनांक 11.08.2024 को छिटनापुर क्रासिंग से बालपुर की तरफ जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रामसेवक पुत्र स्व0 बाबादीन निवासी कोरियनपुरवा मौजा छिटनापुर थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।
02. अभिमन्यु पुत्र रामसेवक निवासी कोरियनपुरवा मौजा छिटनापुर थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।
03. रामावती पत्नी रामसेवक निवासीनी कोरियनपुरवा मौजा छिटनापुर थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 317/2024 धारा 80, 85(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०सुभाष यादव
02. हे0का0 राकेश कुमार
03. का0 मणिकान्त
04. का0 संदीप कुमार
05. म0का0 रामकुमारी राना

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.08.2024, नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मोबाइल फोन छीना-झपटी करने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन व रू0 200/- नगद बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-261/24, धारा 304(2), 317 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त- 01. सुरेश यादव व 02. अजय गुप्ता को किशुनदासपुर क्रासिंग के पास कोल्हमपुर जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छिनैती का **01 मोबाइल फोन व रू0 200/- नगद** बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी अमरजीत पुत्र मुन्नीलाल निवासी रीवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज को सूचना दिया की वह सब्जी गाँव गाँव घुमकर बेच रहा था तभी उसके मोबाइल पर उसकी पत्नी का फोन आया और बात करने लगा उसी दौरान विपक्षी द्वारा वादी का मोबाइल झपटा मार कर छीन लिया मोबाइल कवर में 200 रूपये भी था। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0-261/24, धारा 304(2) बीएनएस बनाम सुरेश यादव व अजय गुप्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी व मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु टीमें लगाई गयी थी। आज दिनांक 11.08.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तो- 01. 01. सुरेश यादव व 02. अजय गुप्ता को किशुनदासपुर क्रासिंग के पास कोल्हमपुर जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **छिनैती का 01 मोबाइल फोन व रू0 200/- नगद** बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 317 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुरेश यादव पुत्र हौसिला यादव निवासी कोल्हमपुर इमाम थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
02. अजय गुप्ता पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी चकशिवरहा गडेरियनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-261/24, धारा 304(2), 317 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन एन्ड्राएड
02. 200/-रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उ0नि0 अमर सिंह
02. हे0का0 अरूण शंकर सिंह
03. का0 दिनेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 11.08.2024, थाना कटराबाजार</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार</u>

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री उमेश्वर सिंह के नेतृत्व में गठित थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-290/2024, धारा 376(2)N, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तसलीम पुत्र हसमत अली निवासी ग्राम पाण्डेयपुरवा मौजा असरना थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को पहाडापुर बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक ...2024 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षीगणों द्वारा उसकी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त तसलीम पुत्र हसमत अली को आज दिनांक 11.08.2024 को पहाडापुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. तसलीम पुत्र हसमत अली निवासी ग्राम पाण्डेयपुरवा मौजा असरना थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-290/2024, धारा 376(2)N, 504, 506 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुरेश कुमार सिंह

02. हे0का0 सत्येन्द्र कुमार

03. का0 विकास यादव

मीडिया सेल, गोण्डा